रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1699] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2013/आषाढ़ 28, 1935
No. 1699] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2013/ASHADHA 28, 1935

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2013

का.आ. 2205(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2817 (अ), तारीख 22 नवम्बर, 2010 के तहत लोक महत्व के निश्चित विषय अर्थात खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों और उसके अधीन जारी किए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के उल्लंघन में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसे अयस्कों को देश के भीतर विभिन्न स्थानों पर एकत्रित करने, परिवहन और निर्यात करने के संबंध में जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह से मिलकर बने आयोग को नियुक्त किया गया और यथासंभव शीघ्र किंतु पहली बैठक की तारीख से 18 मास के अपश्चात जांच आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और आयोग की पहली बैठक 17 जनवरी, 2011 को आयोजित हुई थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई, 2012 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी थी;

और आयोग के अनुरोध पर, आयोग का कार्यकाल अधिसूचना सं. का.आ. 1738 (अ) तारीख 03 अगस्त, 2012 के तहत 17 जुलाई, 2012 से 16 जुलाई, 2013 तक एक वर्ष के लिए बढा दिया गया था;

और आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पूरा करने के लिए और समय चाहने का अनुरोध किया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट) को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के कार्यकाल को आगे तीन मास अर्थात 17 जुलाई, 2013 से 16 अक्तूबर, 2013 तक बढाती है ।

[फा.सं. 16/12/2009-एम. VI (पार्ट XV) (खंड IV)]

नरेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2013

S.O. 2205(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Mines, number S.O. 2817(E), dated the 22nd November, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd November, 2010, appointed a Commission of Inquiry consisting of Justice M. B. Shah, retired Judge of the Supreme Court of India for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, mining of iron ore and manganese ore in contravention of the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and other Central and State Acts and the rules and guidelines issued thereunder and raising, transportation and exporting of such ores without lawful authority at various places within the country and to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than eighteen months from the date of its first sitting;

And whereas, the first sitting of the Commission was held on the 17th day of January, 2011 and the Commission had to submit its Report on or before the 16th day of July, 2012;

And whereas, on the request of the Commission, the tenure of the Commission was extended for a period of one year from the 17th July, 2012 to the 16th July, 2013 vide notification number S.O. 1738(E) dated the 3rd August, 2012;

And whereas, the Commission has requested for further time for completion of its report;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extends the term of Justice M. B. Shah Commission of Inquiry for a period of three months from the 17th July, 2013 to the 16th October, 2013 to finalise its Report(s).

[F. No. 16/12/2009-M.VI (Pt. XV) (Vol. IV)]

NARESH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.